2019/00240

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

हरिराम मीना ग्राम खिरखिडा पोस्ट काशीपुरा तहसील करौली जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 22/19 किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 21.10.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21/10/19	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर "ग्राम पंचायत काशीपुरा में विभिन्न योजनाए डांग विकास योजना, एफ.एफ.सी., जल ग्रहण योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना में स्वीकृत सभी कार्यो की सन 2015 से 2019 तक की सूची मय प्रमाणित"। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	470 21/10/19